

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

हीरा लाल

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट


प्रकरण संख्या :- 172 /2025

--:आदेश:-

दिनांक:- 25/4/25

प्रार्थी हीरा लाल पुत्र श्री पुख राज जाति गुरुडा निवासी पिचियाक तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम पिचियाक की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 339 के खसरा नंबर 387/10 में दर्ज अशुद्ध नाम हीरालाल पुत्र पुखराज जाति गुरुडा निवासी पिचियाक का शुद्ध नाम हीरा लाल पुत्र पुख राज जाति गुरुडा निवासी पिचियाक की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।


(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा